

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-548 वर्ष 2017

राधा देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के माध्यम से
- 2.. उपायुक्त, हजारीबाग
3. अंचल अधिकारी, बरकाथा, हजारीबाग उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री ए0के0 सहानी, अधिवक्ता

उत्तरदाता-राज्य के लिए :- श्री सुमन कु0 घोष, जी0ए0 का जे0सी0

02/21.03.2017 याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने बिक्री विलेख दिनांक 03.02.2010 (अनुलग्नक-1) के माध्यम से ग्राम बलकापी में खाता संख्या 36 के तहत प्लॉट संख्या 2634 एवं खाता संख्या 150 के तहत प्लॉट संख्या 2488 का क्रमशः 4.5 और 4.0 दशमलव क्षेत्रफल, एक जमीन का टुकड़ा खरीदने के बाद, प्रतिवादी संख्या 3-अंचल अधिकारी, बरकाटा, हजारीबाग के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन किया है। अनुलग्नक-4 के द्वारा इंटरनेट से उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, म्यूटेशन केस नंबर 16/2016-17 अभी भी लंबित है। तदनुसार, उसने अपने आवेदन पर उचित आदेश पारित करने के लिए उत्तरदाता संख्या 3 को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है।

3. उत्तरदाता राज्य के वकील उपस्थित हैं और प्रस्तुत करते हैं कि मामले में निर्देश प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जो पिछले महीने ही दायर किए गए हैं, लेकिन मामले में कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए उत्तरदाता संख्या 3 पर उचित निर्देश जारी किया जा सकता है, आवेदक की ओर से बिक्री के साधन, शीर्षक और कब्जे के साक्ष्य आदि के उचित सत्यापन के बाद।
4. पार्टियों के निवेदनों और उपरोक्त चर्चा किए गए प्रासंगिक सामग्री तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के दावे के गुण-दोष में शामिल हुए बिना, रिट याचिका को सक्षम प्राधिकारी/उत्तरदाता संख्या 3-अंचल अधिकारी, बरकाठा, हजारीबाग को निर्देश देते हुए निपटान किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन, जो म्यूटेशन केस सं0-16/2016-17 है, पर कानून के अनुसार प्रभावित पक्षों को उचित नोटिस के बाद एवं सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड और बिहार किरायेदार होल्डिंग्स (अभिलेखों का रखरखाव) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के उचित सत्यापन के बाद एक उचित समय के भीतर, अधिमानतः इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से सोलह सप्ताह के भीतर निर्णय लें।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)